



पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग

विद्युत भवन, नजदीक-आई0एस0बी0टी0 क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून-248002

दूरभाष नं0 0135-2643023 फैक्स नं0 0135-2645249 email:-hr@ptcul.org

पत्रांक: 930 / मा0सं0एवंप्र0वि0 / पिटकुल / ईएस-6

दिनांक: 22.06.2022

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा कारपोरेशन कार्यहित में श्रमिक (वेतनमान रू0 19900-63200, वेतन लेवल-2) पद पर कार्यरत अधोनामित कार्मिकों को कुशल श्रमिक (वेतनमान रू0 21700-69100, वेतन लेवल-3) के पद पर पदोन्नत किया जाता है तथा उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या-(4) में अंकित कार्यालय/उपकेन्द्र में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित किया जाता है:-

क्र0सं0	कार्मिकों का नाम	पिता का नाम	तैनाती कार्यालय/उपकेन्द्र
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री ललित कुमार	स्व0 श्री रणजीत सिंह	मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग, पिटकुल, देहरादून
2	श्री सौरभ सिंह	स्व0 श्री सालोमन सिंह	220 के0वी0 उपकेन्द्र, पिटकुल, पन्तनगर।

उपर्युक्त पदोन्नति के आदेश निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं कि:-


- क्रम संख्या 02 पर नामित कार्मिक श्रमिक से कुशल श्रमिक पद पर पदोन्नति हेतु निर्धारित 07 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण नहीं करते हैं, अतः कारपोरेशन आदेश संख्या 289/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी-8 दिनांक 16.02.2022 के अनुरूप उनको पदोन्नति हेतु अर्हकारी सेवावधि में 50 प्रतिशत तक की शिथिलता प्रदान की गयी है तथा उनको भविष्य में पदोन्नति पर अर्हकारी सेवावधि में शिथिलीकरण का लाभ नहीं दिया जायेगा। सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारी का दायित्व होगा कि वह उपरोक्त पदोन्नत कार्मिक से कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व इस आशय का लिखित अण्डर टेकिंग प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे कि वह कारपोरेशन के उक्त सन्दर्भित आदेश संख्या 289/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी-8 दिनांक 16.02.2022 के अन्तर्गत सेवाकाल में केवल एक बार अनुमन्य शिथिलीकरण का लाभ इस पद पर पदोन्नति प्राप्त करने हेतु अपनी सहमति देते हैं तथा भविष्य में वह उक्त आदेश के अन्तर्गत शिथिलीकरण प्राप्त करने के पात्र नहीं रहेंगे।
- उपरोक्त पदधारकों की प्रश्नगत पद पर की गयी पदोन्नति पूर्णतया अस्थायी है। उन्हें बिना कोई कारण बताये अथवा पूर्ण नोटिस/सूचना दिये बिना उनके मौलिक पद पर किसी भी समय प्रत्यावर्तित/पदावनत किया जा सकता है।
- यदि उपरोक्त पदधारियों के विरुद्ध जांच या अनुशासनिक कार्यवाही चल रही हो तो उनके पदोन्नति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जायेंगे।
- यह आदेश निर्गमन के दिनांक अथवा उपर्युक्तानुसार कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक, दोनों में से जो भी बाद में हो, से प्रभावी होगा।
- सम्बन्धित पदोन्नत कार्मिक दिनांक 29.06.2022 तक पदोन्नत पद पर अपना कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा उनके पदोन्नति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जायेंगे।
- सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारी पदोन्नत कार्मिक के द्वारा प्रोन्नत पद पर कार्यग्रहण की सूचना से दिनांक 04.07.2022 तक इस कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक: 930 / मा0सं0एवंप्र0वि0 / पिटकुल / ईएस-6 तददिनांकित:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- निजी सहायक-प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
- निजी सहायक-निदेशक (मा0सं0)/परिचालन को निदेशकगणों के संज्ञानार्थ।
- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, पिटकुल.....।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाली अभियन्ता, पिटकुल.....।
- अधिशाली अभियन्ता (सू0प्रौ0), पिटकुल, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त पत्र को पिटकुल की वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित कार्मिक/कटफाईल।


(अनुपम सिंह)

उपमहाप्रबन्धक (अधिष्ठान)